



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 16, गुरुवार, शाके 1937-अक्टूबर 8, 2015
Asvina 16, Thursday, Saka 1937-October 8, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 8, 2015

संख्या प. 2 (43) विधि/2/2015:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 31)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 30 जून, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 27 का संशोधन.- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 27 में,-

(i) उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और भी कि जहां किसी सोसाइटी की समिति धारा 30 के अधीन हटा दी गयी है और इस प्रकार हटायी गयी समिति की मूल अवधि का शेष भाग इसकी मूल अवधि के आधे से अधिक है, तब इस प्रकार हटायी गयी समिति की अवधि के शेष भाग के लिए समिति का निर्वाचन किया जा सकेगा, किन्तु जहां समिति इसकी मूल अवधि के आधे की समाप्ति के पश्चात् हटायी गयी है, वहां सोसाइटी की समिति की पूर्ण अवधि के लिए निर्वाचन, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा सहकारी सोसाइटियों के भिन्न-भिन्न स्तरों के निर्वाचन साथ-साथ कराने के प्रयोजन के लिए विनिश्चित किये गये समय पर करवाये जायेंगे।"

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जहां-

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति,-

(i) लगातार व्यतिक्रम करती है; या

(ii) इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों द्वारा उस समिति पर अधिरोपित अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा करती है; या

(iii) सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करती है; या

(ख) समिति के गठन या उसके कृत्यों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है,

वहां किसी प्राथमिक सोसाइटी के मामले में जोनल रजिस्ट्रार, किसी केन्द्रीय सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान, और किसी शीर्ष सोसाइटी के मामले में राज्य सरकार, समिति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर

प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, समिति को हटा सकेगी और समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, किसी सरकारी सेवक को, सोसाइटी की समिति का निर्वाचन होने तक, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु बैंककारी का कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के उपबंध भी लागू होंगे।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे निदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यक्षीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त कृत्यों या कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने की और ऐसी समस्त कार्रवाइयां करने की शक्तियां होंगी, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।"

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में नयी धारा 30-ग का अन्तःस्थापन.- (1) मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 30-ख के पश्चात् और विद्यमान धारा 31 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"30-ग. समिति की अवधि पूर्ण होने पर प्रशासक की नियुक्ति.- (1) जहां विद्यमान समिति की अवधि समाप्त हो गयी है और राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, चाहे किसी भी कारण से, नयी समिति के लिए निर्वाचनों का संचालन करने में असफल रहा है, वहां रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, किसी सरकारी सेवक को, सोसाइटी की समिति का निर्वाचन होने तक, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे निदेशों के, जो वह समय-समय पर दे,

अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त कृत्यों या कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने की और ऐसी समस्त कार्रवाइयां करने की शक्तियां होंगी, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।"।

5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"32. सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन.- किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार संचालित किया जायेगा।"।

6. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION

Jaipur, October 8, 2015

No. F. 2 (43) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Sahakari

Society (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 31):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETY
(AMENDMENT) ACT, 2015**

(Act No. 31 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 7th day of October, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th June, 2015.

2. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In the existing section 27 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end of second proviso of sub-section (4), the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (ii) after existing sub-section (4), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided also that where the committee of a society is removed under section 30 and the remainder of the original term of the committee so removed is more than half of its original term, then the elections to the committee may be held for the remainder of the term of the committee so removed, but where the committee is removed after completion of half of its original term, elections to the committee of the society

for a full term shall be held at a time decided by the State Co-operative Election Authority for the purpose of synchronizing elections of different tiers of the co-operative societies.”.

3. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 30 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) Where-

(a) the committee of a co-operative society

(i) persistently makes default; or

(ii) is negligent in the performance of its duties imposed on it by this Act or the rules or the bye-laws; or

(iii) commits any act prejudicial to the interest of the society or its members; or

(b) there is stalemate in the constitution or functions of the committee,

the Zonal Registrar, in case of a primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, in case of a central society and the State Government, in case of an apex society may, after giving the committee a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, remove the committee and appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society till the elections are held to the committee of the society:

Provided that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) shall also apply.”; and

(ii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely: -

“(3) The Administrator so appointed shall have powers to perform all or any of the

functions of the elected committee and take all such actions as may be required in the interest of the society, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may give from time to time.”.

4. Insertion of new section 30-C, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- (1) After the existing section 30-B and before the existing section 31 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“30-C. Appointment of Administrator on completion of term of the committee.- (1) Where the term of existing committee has expired and the State Co-operative Election Authority has failed to conduct elections for a new committee, for whatever reason, in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, the Registrar may, by an order in writing, appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society till the elections are held to the committee of the society.

(2) The Administrator so appointed shall have powers to perform all or any of the functions of the elected committee and take all such actions as may be required in the interest of the society, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may give from time to time.”.

5. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 32 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“32. Election of Co-operative Society.- The election to the committee of a co-operative society shall be conducted as per the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder.”.

6. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 6 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.